न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2021 GCMS NO 2021/105
दायरा तिथि : 01.07.2021
आदेश तिथि : 14-9-2021

प्रार्थी :–

कसनाराम उर्फ किशन चौधरी पुत्र वनाराम
जाति जणवा चौधरी निवारी गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. वजाराम पुत्र चेनाजी जाति जणवा चौधरी
निवारी निवासी गुडाकल्याणसिंह तहसील बाली जिला पाली(राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत सिंचाई हेतु भूमिगत् पाईप लाईन स्थापित कराने

आदेश

दिनांक : 14-9-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा संयुक्त सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि गुडा कल्याणसिंह के खसरा नंबर 56/1 रकबा 3.31 हैक्टर में स्थित कुऍं से अपने पिता के नाम से धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 02 को सिंचित करने के लिए गुडा कल्याणसिंह के खसरा नंबर 74 व खसरा नंबर 16, 61, 71 किस्म गै.मु. रास्ता मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न गुलाबी रंग से दर्शित ट्रेक से भूमिगत् पाईप लाईन स्थापित किये जाने बाबत् अनुमत करने के लिये निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, गुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1199 दिनांक 15.07.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.प्रार्थी आवेदक श्री कसनाराम उर्फ किशन चौधरी पुत्र वनाराम जाति जणवा निवासी गुडाकल्याणसिंह की संयुत खातेदारी भूमि मेंसे जहॉ पानी की भूमिगत पाईप लाईन ले जाई जायेगी। वहॉ पर वर्तमान में सिंचाई का कोई अन्य विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि प्रस्तावित पाईपलाईन निजी खातेदार श्री वजाराम पुत्र चेनाजी जाति जणवा की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 74 व अन्य खसरा नम्बर 56/1 जहॉं पर आवेदक का टयूबवैल खुदा हुआ है वहॉं से भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जाएगी उन खसरो में पहले खसरा नंबर 56 ग्राम पंचायत लाटाडा की गोचर भूमि मेंसे जाएगी , आगे खसरा नम्बर 61 गै.मु. रास्ता को क्रॉस करते हुए खसरा नंबर 16 गै.मु. रास्ता की भूमि मेंसे होकर आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 02 में प्रवेश करेगी।

3. यह हैं कि जिन जिन खसरो मेंसे भूमिगत् पाईप लाईन डाली जाना प्रस्तावित हैं उन खसरो का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	भूमिगत पाईप लाईन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
01	56	19.04	बा.दो.(गोचर)	600X1 = 600 वर्गमीटर	ग्राम पंचायत लाटाडा
02	61	0.9200	गैमु. रास्ता	12X1 = 12 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
03	62	1.70	गैमु. आगोर	160X1 = 160 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
04	64	0.86	गै.मु. नाडी	100X1 = 100 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
05	16	0.23	गै.मु. रास्ता	40X1 = 40 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
06	68	1.17	चा.प्र.	40X1 = 40 वर्गमीटर	पुराराम 1/3 भगाराम 1/3 समाराम 1/3 पिसरान् कानाराम जणवा चौधरी
07	74	1.20	चा. प्र.	260X1 = 260 वर्गमीटर	वजाराम पुत्र चेनाराम जणवा चौधरी
			योग	1212 वर्गमीटर	

पेज लगातार...02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2021 GCMS NO 2021/105

अनवान कसनाराम बनाम वजाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह हैं कि प्रार्थी के प्रार्थना में खसरा नंबर 71 का उल्लेख किया है लेकिन खसरा नंबर 71 मेंसे पाईप लाईन नहीं निकलेगी। प्रार्थी ने निजी खसरा नंबर 68 का उल्लेख नहीं किया है जबकि 68 मेंसे 40 मीटर तक पाईप लाईन निकलने के बाद उल्लेखित खसरा नंबर 74 में प्रवेश करेगी।

5. यह हैं कि जहां प्रस्तावित सिंचाई हेतु भूमिगत पाईपलाईन स्थापित करने में खसरा नंबर 56 किस्म गै. मु. गोचर व खसरा नंबर 61, 62, 64, 16 किस्म गै.मु. आगोर व किस्म गै.मु. रास्ता की प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि मेंसे भूमिगत पाईप लाईन निकलेगी, जिसमें कुल 912 वर्गमीटर अर्थात् 0.0912 हैक्टर सरकारी भूमि प्रभावित होगी। गै.मु. गोचर बाबत् ग्राम पंचायत लाटाडा से अनापति लिया जाना अपेक्षित रहेगी।

6. प्रस्तावित भूमि ग्राम गुडाकल्याणसिंह की डी.एल.सी.दर 101250/- रूपये प्रति हैक्टर है।

4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं हैं

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग के संदर्भ में उपरोक्तानुसार भूमिगत् पाईप लाईन बिछाये बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थी वजाराम पुत्र चेनाजी को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी वजाराम पुत्र चेनाजी जाति जणवा चौधरी नि. गुडाकल्याणसिंह बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट में खसरा नंबर 68 रकबा 1.17 हैक्टर मेंसे 40 वर्गमीटर भूभाग प्रभावित होना वर्णित करने से प्रार्थी को नव सृजित पक्ष खसरा नंबर 68 के खातेदार पुराराम 1/3 भगाराम 1/3 समाराम 1/3 पिसरान् कानाराम जाति जणवा चौधरी निवासी गुडाकल्याणसिंह को तलब किये जाने के निर्देश दिये जाने पर प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 68 के खातेदार व सभी हितबद्ध पक्षकारो का सहमति पत्र पेश किया गया। नवसृजित पक्षकारो का सहमति पत्र प्राप्त होने तथा खसरा नंबर 74 के खातेदार वजाराम पुत्र चेनाजी के विरूद्व पुर्व में एक पक्षीय आदेश पारित होने से तहसीलदार, बाली से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, गुण्डारा द्वारा पत्रांकःराजस्व/2021/1199 दिनांक 15.07.2021 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सह खातेदारी भूमि मौजा **गुडा कल्याणसिंह पटवार हल्का लाटाडा** तहसील बाली के खसरा नंबर 56/1 रकबा 3.31 हैक्टर में स्थित कुएँ से अपने पिता नाम की धारित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 02 रकबा 2.50 हैक्टर की सिंचाई हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **गुडा कल्याणसिंह पटवार हल्का लाटाडा** के खसरा नंबर **56, 61, 62, 64, 68, 74 मेंसे कुल 1212 वर्गमीटर भूमि** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से तीन फीट गहरी भूमिगत् पाईप लाईन बिछाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	भूमि गत पाईप लाईन के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 101250/- प्रति हैक्टर की दर से 1/10 राशि	नाम खातेदार
56	19.04	600X1 = 600 वर्गमीटर	10.13	608	ग्राम पंचायत लाटाडा
61	0.9200	12X1 = 12 वर्गमीटर	10.13	13	राजकीय सिवाय चक
62	1.70	160X1 = 160 वर्गमीटर	10.13	162	राजकीय सिवाय चक
64	0.86	100X1 = 100 वर्गमीटर	10.13	101	ग्राम पंचायत लाटाडा
16	0.23	40X1 = 40 वर्गमीटर	10.13	41	राजकीय सिवाय चक
68	1.17	40X1 = 40 वर्गमीटर	10.13	41	पुराराम 1/3 भगाराम 1/3 समाराम 1/3 पिसरान् कानाराम जणवा चौधरी
74	1.20	260X1 = 260 वर्गमीटर	10.13	264	वजाराम पुत्र चेनाराम जणवा चौधरी
	योग	1212 वर्गमीटर		1230/-रूपये	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली

पेज लगातार.........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2021 GCMS NO 2021/105

अनवान कसनाराम बनाम वजाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित पाईप लाईन के मार्ग में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **1230/– (अक्षरे एक हजार दो सौ तीस)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर आदेशानुसार भूमिगत् पाईप लाईन स्थापित कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.) 09.2021
17-9-2021

क्रमांक/कोर्ट/2021/ 2078 – 2082

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, लाटाडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक कसनाराम उर्फ किशन चौधरी पुत्र वनाराम जाति जणवा चौधरी निवासी गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सुचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner